



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1946 (श०)

(सं० पटना 930) पटना, बुधवार, 18 सितम्बर 2024

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2024

सं० 7/स्था० (अरा० उ०)—01/2018-3805—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली, 2017 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—**

- (1) यह नियमावली "बिहार मद्य निषेध अवर सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. "बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली, 2017 के नियम-11. 4(क) का विलोपन।—उक्त नियमावली के नियम-11 के उपनियम-4(क) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद सिंह गुंजियाल,  
सचिव—सह—आयुक्त उत्पाद।

***The 17<sup>th</sup> September 2024***

No 7/Est. (Non.U.) -01/2018/3805—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar sub-ordinate prohibition service Rules, 2017:-

**1. Short title, extent and commencement.—**

- (1) These Rules may be called "the Bihar sub-ordinate prohibition service (Amendment) Rules, 2024.
- (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force from the date of publication in the official gazette.

2. Deletion of the Sub rule 4(A) of Rule 11 of Bihar sub-ordinate prohibition service Rules, 2017 - Sub rule 4(A) of Rule 11 of the said Rules, 2017 shall be omitted hereby.

**By order of the Governor of Bihar,  
VINOD SINGH GUNJIYAL,  
Secretary-cum-excise Commissioner.**

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 930+571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>